

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 2147/11-सी-FP/UP/Approach/42689/2019, लखनऊ, दिनांक: जून 10, 2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद मथुरा में मथुरा-सादाबाद मार्ग (एम०डी०आर०-102) कि०मी०-11 (चैनेज-10.735) के खसरा संख्या-177 की बॉयी पटरी पर ग्राम मुबारकपुर बॉगर पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के न्यू रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 0.03678 हे० संरक्षित वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति। प्रस्ताव संख्या **FP/UP/Approach/42689/2019**

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०६/२५/२०२०/एफ०सी०/६१०, दिनांक 18.03.2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ने अपने पत्रांक-3507/14-1 दिनांक 08.06.2020 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय
1076

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-2147/11-सी-FP/UP/Approach/42689/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक, आगरा।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मथुरा।
- 3- प्रादेशिक प्रबन्धक, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, प्लॉट डी-1, रोड नं०-26, इंडस्ट्रीयल एरिया, साइड-बी, पोस्ट आफिस-मथुरा रिफाइनरी, मथुरा।

1016

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

oll